

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

मुख्यदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्णरेखा बहूद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर
मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल कॉम्प्लेक्स/ईचा-गालुडीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर,
जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, राँची
मुख्य अभियंता, रुपांकण, समग्र योजना और जल विज्ञान, राँची
मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित
निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 03-08-17

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2700-मुख्य
सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-01- मुख्य सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन,
उप शीर्ष-02-स्वर्णरेखा बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बजट मुख्य शीर्ष 2700-मुख्य सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में
दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया
जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2700-मुख्य सिंचाई	01 मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 02-स्वर्णरेखा बाँध परियोजना	808.294

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि - रुपये आठ करोड़ आठ लाख उन्तीस हजार चार सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2017-2018 के संशोधित बजट उपबंध ₹ 18594.46 लाख (एक सौ पचासी करोड़ चौरानवे लाख छियालीस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।


(ऑंकार नाथ)
सहा. अभि.

(मुक्ति साधु चौंसिया)
उप सचिव (अभि.)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन हार्ड कॉपी में **Access No** तथा **Revoke No/Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 दिसंबर 2017 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त



(सुखदेव सिंह,)
31/07
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 82

रॉची, दिनांक :- 03-08-17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला-खरसौवा/घाटशिला/देवघर/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त



(सुखदेव सिंह)
31/07
प्रधान सचिव


ज्ञापांक :- 82


रॉची, दिनांक :- 03-08-17

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(ओंकार नाथ)
सहा. अभि.


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुखदेव सिंह)
31/07
प्रधान सचिव

गांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2700-मुख्य सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-01-मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-02-स्वपरिखा बॉध परियोजना

पत्रांक 82 दिनांक 2-8-11 को अनुमति

परिशिष्ट I

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-2018						वित्तीय वर्ष 2017-2018						कुल योग	अभियुक्ति	
		वित्त कोड	वैतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एलटीडीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	वित्त व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विधि प्रसार				
1	प्रशासक स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परि० आदित्यपुर जमशेदपुर	49S270001001020101	116.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.500	0.400	0.000	0.000	0.500	1.000	0.000	118.400	
1	मुख्य अभियंता-ईबागालुडीह कमलेस्वर, आदित्यपुर	49S270001001020101	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.700	
2	मुख्य अभियंता-चांडिल कमलेस्वर, जमशेदपुर	49S270001001020101	100.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.400	0.300	0.000	0.000	1.400	0.400	0.000	98.300	
3	मुख्य अभियंता, योजना मोनेटरिंग एवं आयोजन संघी	49S270001001020101	29.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.500	0.400	0.000	0.000	0.500	0.500	0.000	31.400	
4	मुख्य अभि०, रूपकांग समग्र योजना एवं जल विज्ञान संघी	49S270001001020101	44.000	0.000	0.000	1.000	3.000	1.000	0.550	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	50.550	
5	खरकई बाध अंचल, चालियामा	49S270001001020101	83.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.100	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	83.850	
6	नहर एवं नहर संरचना रूपकांग अंचल-संघी	49S270001001020101	117.000	0.000	0.000	0.100	0.400	0.550	0.150	0.000	0.250	1.000	0.000	0.000	119.450	
7	बराज अंचल-गावुडीह	49S270001001020101	77.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.100	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	77.850	
8	योजना एवं आयोजन अंचल, संघी	49S270001001020101	150.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.750	0.100	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	151.350	
9	कुल आवंटन		101.000	0.000	0.264	0.000	0.200	0.250	0.100	0.000	0.000	0.300	0.700	0.000	101.850	
	कुल आवंटन		101.000	0.264	0.000	0.200	0.200	0.550	0.100	0.000	0.000	1.000	0.700	0.000	126.4	
	कुल आवंटन		196.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.300	0.100	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	196.900	
	कुल आवंटन		196.000	0.000	0.000	0.800	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.500	0.000	1.600	
	कुल आवंटन		196.000	0.000	0.000	1.000	0.600	0.100	0.000	0.000	0.000	0.800	0.800	0.000	198.500	

(आंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति आश्विन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

31/5

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2017-2018	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते						विरुद्ध शीर्ष-02-देशीय यात्रा व्यय					विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय					विरुद्ध शीर्ष-04-मोटोसाइकिल, इंधन एवं मरम्मत		विरुद्ध शीर्ष-07-विभिन्न प्रसार		कुल योग	अभियुक्ति
		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटोसाइकिल, इंधन एवं मरम्मत	विभिन्न प्रसार	कुल योग	अभियुक्ति										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
10	योजना एवं मोनेटरिंग अचल-1 संचयी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	124.000 55.000	0.000 0.000	0.000 1.000	0.500 2.000	0.400 0.500	0.300 0.200	0.000 0.000	0.000 0.000	0.300 0.200	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	125.500 58.900								
		कुल आवंटन	179.000	0.000	1.000	2.500	0.900	0.500	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	184.400									
11	योजना एवं मोनेटरिंग अचल-2 संचयी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	87.000 50.000	0.000 0.000	0.000 0.500	0.500 1.200	0.400 0.300	0.200 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.300 0.300	0.000 0.000	0.000 0.000	88.400 52.000									
		कुल आवंटन	137.000	0.000	0.500	1.700	0.700	0.200	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	140.400									
12	समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अचल-1 संचयी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	160.000 96.580	0.000 0.000	0.000 0.300	0.200 1.200	0.250 0.300	0.100 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.300 0.000	0.000 0.000	0.000 0.600	160.850 99.080									
		कुल आवंटन	256.580	0.000	0.300	1.400	0.550	0.200	0.000	0.000	0.300	0.000	0.600	259.930									
13	समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अचल-2 देवघर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	88.000 70.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.800	0.250 0.300	0.100 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.300 0.700	0.000 0.100	0.000 0.100	88.850 72.000									
		कुल आवंटन	158.000	0.000	0.000	1.000	0.550	0.200	0.000	0.000	1.000	0.100	0.100	160.850									
14	उप निर्देशक क्रय निर्माण सामग्री एवं निविदा नियंत्रण	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	157.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.600	0.200 0.300	0.050 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.300 0.000	0.000 0.000	0.000 0.500	157.750 1.400									
		कुल आवंटन	157.000	0.000	0.000	0.800	0.500	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	0.500	159.150									
15	खरकई नहर प्रमंडल, चार्डबासा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	256.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.000	0.200 0.300	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.300 0.000	0.000 0.000	0.000 2.000	256.700 2.300									
		कुल आवंटन	256.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	2.000	259.000									
16	खरकई नहर प्रमंडल, यालनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	187.000 50.000	0.000 0.000	0.000 0.400	0.200 0.600	0.200 0.300	0.050 0.000	0.000 0.000	0.000 0.300	0.300 0.700	0.000 0.000	0.000 0.000	187.750 52.300									
		कुल आवंटन	237.000	0.000	0.400	0.800	0.500	0.050	0.000	0.300	1.000	0.000	0.000	240.050									
17	खरकई बांध प्रमंडल सं-1 मुसाबनी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	122.000 40.000	0.000 0.000	0.000 0.400	0.200 0.200	0.200 0.300	0.050 0.000	0.000 0.000	0.000 0.600	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	122.450 41.500									
		कुल आवंटन	162.000	0.000	0.400	0.400	0.500	0.050	0.000	0.600	0.000	0.000	0.000	163.950									
18	खरकई बांध प्रमंडल सं-2 ईया चालियामा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	155.000 145.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.600	0.200 0.300	0.000 0.050	0.000 0.000	0.000 0.100	0.300 0.700	0.000 0.000	0.000 3.500	155.700 150.250									
		कुल आवंटन	300.000	0.000	0.000	0.800	0.500	0.050	0.000	0.100	1.000	0.000	3.500	305.950									

(आंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(सुखदेव सिंह)
उप सचिव (आरि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

82
03-04-17

21/2

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2017-2018	कार्यालय का नाम	वित्तुत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तें			वित्तुत शीर्ष-02-			वित्तुत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय					वित्तुत शीर्ष-04-		वित्तुत शीर्ष-07-		यशिका लाख रुपये में	अभियुक्ति	
			वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एलाटोसो	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	रूपाय	वर्दी	विद्युत व्यय	नोटगारिजा भत्तन एवं भत्तन	विक्रि प्रभार	कुल योग							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
19	खरकई लिंक नहर प्रमंडल मुसाबनी	रिपन कोड	49S270001001020101	49S270001001020110	49S270001001020112	49S270001001020213	49S270001001020315	49S270001001020333	49S270001001020334	49S270001001020337	49S270001001020442	49S270001001020760	168.000	0.000	0.000	0.000	0.000	168.450		
			95.000	0.000	0.230	0.400	0.300	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	0.150	96.480						
			263.000	0.000	0.230	0.600	0.500	0.050	0.000	0.400	0.000	0.150	264.930							
20	गुण नियंत्रण प्रमंडल जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	273.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	273.750							
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.800	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	1.600							
		कुल आवंटन	273.000	0.000	0.000	1.000	0.500	0.050	0.000	0.000	0.300	0.500	275.350							
21	नहर रूपांकण प्रमंडल सं०-1 जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	234.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	234.750							
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.270	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.570							
		कुल आवंटन	234.000	0.000	0.270	0.200	0.500	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	235.320							
22	यांत्रिक प्रमंडल, ईया चालियामा	पूर्व का आवंटन	170.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	170.700							
		अतिरिक्त आवंटन	10.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	11.000							
		कुल आवंटन	180.000	0.000	0.000	0.400	0.500	0.000	0.000	0.000	0.800	0.000	181.700							
23	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-3 मानगो, जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	300.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	300.400							
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	3.300							
		कुल आवंटन	300.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	3.300							
24	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-12 मानगो, जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	323.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	323.450							
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	2.000							
		कुल आवंटन	323.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.050	0.000	0.000	0.000	2.000	325.450							
25	स्वर्ण रेखा नहर प्रमंडल गांगुडीह	पूर्व का आवंटन	271.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	271.450							
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.900	1.200							
		कुल आवंटन	271.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.050	0.000	0.000	0.000	0.900	272.650							
		आतिरिक्त आवंटन का योग	757.580	0.264	4.200	12.800	8.600	1.250	0.000	1.650	8.700	13.250	808.294							

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विधि-14/2010-39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मर में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपरीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये आठ करोड़ आठ लाख उन्नीस हजार चार सौ मात्र

(ऑफर नं०)

सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौखिया)

उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)

प्रधान सचिव

82
03-08-17

21/3